नांक	कार्यवाही एवं आदेश

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प पचायत फूलवड़िया में दिनांक 15-5-17 पेश हो। पक्षकारान को नोटिस जारी किये जावे।

रीडर

आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला-बारां

न्यायालय

15-5-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प फूलवड़िया पर आज पेश हुई प्रार्थी स्वयं उप. प्रार्थी द्वारा बताया कि विवादित भूमि की पैमाइश 6.11.12 तुगीलाल ने हो चुकी है मैं प्रकरण के कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ प्रकरण इसी स्थल पर डिस्प्रूव किया जावे। अतः बाकी का बाड़ इसी स्थल पर डिस्प्रूव किया जाता है पत्रावली मिसल शुमार होकर बाड़ शामिल नकशील 2 के दाखिल दफ्तर हो।